

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5() आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2016/3711-41 जयपुर, दिनांक 13.4.16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,
राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(1)(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2015/14226-66 दिनांक 19.12.2015 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 15.07.2016 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार राहत सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

गौशालाओं के लिए राहत सहायता स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा-निर्देश सहायता निर्देशिका के अध्याय -6 बिन्दु सं.6.1 से 6.3.4 में अंकित है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होने की दिनांक से 30.6.2016 के मध्य एस.डी.आर.एफ. नॉम्स के अनुसार पंजीकृत गौशालाओं के राहत सहायता हेतु प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त करें।
2. सम्बन्धित तहसीलदार गौशालाओं के प्रस्ताव उक्तानुसार प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन-पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रेषित करें। यदि तहसीलदार गौशाला के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलेक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।
3. जिला कलेक्टर तहसीलदारों से प्राप्त प्रस्तावों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि कर प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित गौशाला को एक माह की अवधि के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पशु संख्या के अनुसार दिनांक 15.4.2016 से राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। विभाग स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी। एक सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में सॉफ्टवेयर प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही ब्लॉक हो



- जायेगी। समय पर (एक सप्ताह के भीतर) प्रस्ताव का निस्तारण नहीं करने के कारण जिला कलेक्टर या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला कलेक्टर अभावग्रस्त ग्रामों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं को विभागीय दिशा-निर्देशों के जारी होने की तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया अनुसार गौशाला राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना प्रारम्भ करेंगे, परन्तु 30 जून, 2016 के पश्चात् गौशाला राहत सहायता की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं करेंगे।
4. जिला कलेक्टर कार्यालय में तहसील से गौशाला राहत सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त प्रस्ताव का निस्तारण/स्वीकृति जारी करेंगे। यदि जिला कलेक्टर द्वारा तहसील से प्राप्त प्रस्ताव का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह के पश्चात् उक्त लम्बित/ब्लॉक हुए प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना एवं विलम्ब के कारणों सहित प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित करेंगे व विभाग विलम्ब के औचित्य का परीक्षण कर प्रस्ताव के स्वीकृति/निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत करेगा।
 5. राज्य कार्यकारी समिति द्वारा गौशाला राहत सहायता हेतु 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है, यदि उक्त 30 दिन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो तो जिला कलेक्टर उक्त 30 दिवस की अवधि समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व ही अपने प्रस्ताव स्पष्ट अनुशंषा सहित विभाग को प्रेषित करेंगे। जिसे अभाव अवधि की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2016 तक एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।
 6. राज्य कार्यकारी समिति द्वारा गौशालाओं को राहत सहायता भुगतान की प्रक्रिया को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया गया कि गौशाला को राहत सहायता किसी भी परिस्थिति में तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगा। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।
 7. जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर जारी की गई स्वीकृति को संदर्भित करते हुए सविवरण बजट की ऑन लाईन मांग विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। विभाग द्वारा बजट आवंटन के पश्चात् यथा प्रक्रिया समुचित प्रमाणीकरण के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा राहत सहायता का भुगतान किया जाएगा।
 8. **सहायता दर—**
सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु 70/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 35/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगा।
 9. **पशु आहार—**
(1) निर्धारित दर से राहत सहायता उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ क्रमशः 1 कि. ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.11 के तहत वर्ष 2012 से निर्धारित नई दरों के संशोधन अनुसार पशु आहार की राशि क्रमशः 16 रुपये बड़े पशु तथा 8 रुपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।



(2) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्य कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही राहत सहायता देय होगी।

10. निरीक्षण मापदण्ड-

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क्र.स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/पं. समिति

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावे। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्ट्रों का संधारण कराया जावे।:-

- क. खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
- ख. पशुओं का रजिस्टर
- ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
- घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

11. गौशाला अनुदान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक 10 दिवसों में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से अवश्य अवगत करावे।

12. यदि पंजीकृत गौशाला के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त ही राहत सहायता स्वीकृत की जावे।

Pris

13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पंजीकृत गौशालाओं में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्ट्रों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलेक्टरों को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंषा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावे।
14. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित गौशाला के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जायें।
15. स्वीकृत गौशालाओं का विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी करवायी जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जाने पर सम्बन्धित संस्था/सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
16. दिशा-निर्देशों की प्रति सम्बन्धित विधायक को भी भिजवायें।
17. अभावग्रस्त ग्रामों में संचालित पंजीकृत गौशालाओं को सूचित करना भी सुनिश्चित करावें।

भवदीय

Amal
12/4/16
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव पशुपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. गार्ड फाईल।

Amal
शासन सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री उम्र.....

निवासी तहसील जिला का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि

1. मेरी संस्था का नाम एवं संस्था का पंजीयन संख्या यह है।
2. मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान तहसील का नाम जिले का नाम यह है।
3. मैं इस गौशाला/पशु शिविर का पिछले वर्षों से संचालन कर रहा हूँ मेरी गौशाला/पशुशिविर में वर्तमान मेंबड़े छोटे कुल पशु संधारित है।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर/गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

शपथग्रहिता

मैं..... पुत्र/पुत्री उम्र.....

निवासी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता